संख्या-21/2020/478जेएल/22-3-2020-800(106)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज।

कारागार प्रशासन एवं सुधार** अनुभाग-**3 ***लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2020***

विषय- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया पुत्र स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी-1184 कल्याणी देवी, थाना-अतरसुइया, जनपद-प्रयागराज को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-14/2020/385जेएल/22-3-2020-800(106)/2019, दिनांक 14-02-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी उदयभान करवरिया पुत्र स्व0 वशिष्ठ नारायण करवरिया, निवासी-1184 कल्याणी देवी, थाना-अतरसुइया, जनपद-प्रयागराज को शासनादेश संख्या-08/2020/385जेएल/22-3-2020-800(106)/2019, दिनांक 20-01-2020 के क्रम में 15 दिवस की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत बंदी द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत बंदी को शासनादेश संख्या-14/2020/385जेएल/22-3-2020-800(106)/2019, दिनांक 14-02-2020 के क्रम में **15 दिवस की अतिरिक्त पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते शासनादेश दिनांक 20-01-2020 के अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-21/2020/478जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in